(7) राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद्
(State Council of Educational Research and Training—SCERT)

NCERT के प्रारूप पर SCERT's का गठन (श्रीमती) जे० अन्जनी दयानन्द (J. Anjani Dayanand) के प्रयासों के फलस्वरूप सम्भव हो सका। वे शिक्षा मन्त्रालय के शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत् थीं। वस्तुतः वे मार्च, 1978 से राज्य सरकारों के सम्पर्क में थीं तथा उनसे लगातार पत्र-व्यवहार में थीं, इस आग्रह के साथ कि राज्य शिक्षा संस्थानों (S.I.E's) को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (SIERT's) के रूप में पुनर्गठित किया जाये। उन्होंने इस सम्बन्ध में राज्य सचिवों से भी कई दौर की बातचीत की। इस सम्बन्ध में उन्होंने आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों को सरकारी निर्देशों के प्रपत्र भी भेजे, जहाँ ये SCERT's पहले से ही स्थापित की जा चुकी थीं। ये प्रपत्र विस्तृत दिशानिर्देश समाहित किये हुए थे, जिनका सम्बन्ध संगठनात्मक, प्रशासनिक तथा एकादमिक पहलुओं से था।

अधिकाँश SIE's 1964 में स्थापित की गई थीं, जिनका कार्य प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण, विस्तार, शोध एवं प्रकाशन आदि से था। कुछ समय बाद कुछ राज्यों में SIE's के क्षेत्र में विस्तार करते हुए इसमें माध्यमिक तथा उच्च-माध्यमिक शिक्षा को भी सम्मिलित कर लिया गया था। कुछ राज्यों में SIE's ने विज्ञान शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षण, दृश्य-श्रव्य शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण, व्यावसायिक निर्देशन आदि का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया था।

यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि वस्तुतः SCERT's एक प्रकार से NCERT's का ही एक दूसरा रूप हैं। इनका कार्य स्कूल शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित पाठ्यक्रम, नवीनीकरण तथा पाठ्य-पुस्तकों का विकास विशेष रूप से है।

SCERT के उद्देश्य (Objectives of SCERT)

SCERT के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं—

(1) राज्य की वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाना।
(2) विविध स्कूली विषयों का पाठ्यक्रम तैयार करना।
(3) अध्यापकों तथा शैक्षिक पर्यवेक्षकों को सेवा-पूर्व तथा सेवारत् शिक्षा प्रदान करना।
(4) स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकों तथा विधियों को विकसित करना।
(5) शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में खोजों, सर्वेक्षणों, अध्ययनों आदि को बढ़ावा देना।

Scanned by TapScanner

(6) स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार हेतु 'Pilot Projects' बनाना तथा उन पर कार्य करना।

(7) शैक्षिक कार्यक्रमों की देख-रेख, विकास एवं उनका मूल्यांकन करना।

SCERT के कार्य (Functions of SCERT)

SCERT के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं—

(1) सभी स्तरों के सेवारत् अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। प्री-स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक।

(2) राज्य में प्री-स्कूल, प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित सेवारत् निरीक्षक एवं पर्यवेक्षक अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण तथा अभिनवीकरण कोर्सों (Orientation Courses) की व्यवस्था करना।

(3) सभी स्तरों पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को विस्तार सेवाएँ उपलब्ध कराना।

(4) राज्य की विस्तार सेवा केन्द्रों में समायोजन स्थापित करना।

(5) अध्यापकों, अध्यापक प्रशिक्षुओं, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षक अधिकारीगण के सम्पूर्ण व्यावसायिक विकास हेतु पत्र-व्यवहार/सम्पर्क कोर्सेज की व्यवस्था करना।

(6) राज्य में सभी स्तरों के शैक्षिक संस्थानों तथा अध्यापकों के हितार्थ पाठ्यक्रम, अनुदेशात्मक सामग्री, पाठ्य-पुस्तकें आदि की व्यवस्था करना।

(7) प्री-स्कूल तथा प्रारम्भिक अवस्था के स्कूलों तथा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये पाठ्यक्रम निर्धारित करना।

(8) प्री-स्कूल तथा प्रारम्भिक स्तर के स्कूलों तथा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित करना।

(9) माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर के अध्यापक प्रशिक्षुओं के लिये अनुदेशनात्मक सामग्री तैयार करना।

(10) राज्य में विभिन्न स्कूली विषयों से सम्बन्धित अध्यापक परिषदों के कार्यक्रमों में तालमेल स्थापित करना।

(11) प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा के एकादमिक पहलुओं के सम्बन्ध में आवश्यक रूप से एक नियन्त्रक के रूप में कार्य करना और अगर आवश्यक हुआ तो प्रशासनिक मामलों में भी कार्य करना।

(12) सभी स्तरों से सम्बन्धित सामान्य शिक्षा तथा अध्यापक प्रशिक्षण सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना।

(13) स्कूली शिक्षा तथा जीवन-पर्यन्त अनौपचारिक शिक्षा के सन्दर्भ में परिवर्तन के एजेन्ट के रूप में सामान्यतः तथा अध्यापक-शिक्षा के सन्दर्भ में विशेषतः कार्य करना।

(14) समय-समय पर सरकार द्वारा सौंपे गये शिक्षा के सभी स्तरों से सम्बन्धित विशिष्ट प्रोजेक्टों पर कार्य करना।

बाद में नई दिल्ली में SIEs / SCERTs / SISEs / SIERTs आदि के निर्देशकों / प्राचार्यों के सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया कि राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को जल्द से जल्द इस दिशा में कदम उठाने चाहिएं ताकि सभी प्रकार के अध्यापक शिक्षा, शैक्षिक अनुसंधान, विस्तार केन्द्रों आदि को एक सम्मिलित रूप SCERT के रूप में दिया जा सके। साथ ही, यह भी सिफारिश की गई कि प्री-स्कूल, प्रारम्भिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के सन्दर्भ में अध्यापक शिक्षा, शोध, विस्तार, पाठ्यक्रम निर्माण आदि से सम्बन्धित कार्य भी SCERT की देख-रेख एवं संरक्षण में किये जाने चाहिएं।

Scanned by TapScanner

SCERT के विभाग एवं इकाइयाँ
(Departments and Units of SCERT)

SCERT के विभिन्न विभागों एवं इकाइयों का विवरण निम्नवत है—

1. पाठ्यक्रम विकास विभाग (Department of Curriculum Development)

इस विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं—

(i) पाठ्यक्रम विकास (Curriculum Development)।

(ii) मानविकी (Humanities)।

(iii) भाषा शिक्षण (Language Teaching)।

(iv) सौन्दर्यात्मक एवं शारीरिक शिक्षा (Aesthetic and Physical Education)।

(v) विज्ञान एवं गणित शिक्षा (Science and Mathematics Education)।

(vi) माध्यमिक स्तर पर व्यवसायीकरण (Vocationalization at Secondary Level HUPW)।

(vii) अनुदेशनात्मक सामग्री व पाठ्य पुस्तकें (Instructional Material and Text Books)।

2. प्रशिक्षण एवं विस्तार विभाग (Department of Traning and Extension)—इसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं—

(i) सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा (Pre service Teacher Education)।

(ii) सेवारत् अध्यापक शिक्षा (In service Teacher Education)।

(iii) अध्यापक शिक्षा का राज्य बोर्ड (State Board of Teacher Education)।

(iv) विस्तार शिक्षा (Extension Education)।

(v) पत्राचार शिक्षा (Correspondence Education)।

(vi) व्यावसायिक निर्देशन एवं चुनाव (Vocational Guidance and Selection)।

3. शैक्षिक तकनीकी विभाग (Department of Educational Technology)—इस विभाग का सम्बन्ध निम्नांकित से होता है—

(i) स्कूल प्रसारण (रेडियो, टेलीविजन सहित) (School Broadcasting Including Radio and Television)।

(ii) ग्राफिक्स एवं मॉडलिंग (Graphics and Modelling)।

(iii) गुड़िया (पपेट्री) (Puppetary)।

(iv) फोटोग्राफी (Photography)।

4. मूल्यांकन एवं परीक्षा सुधार विभाग (Department of Evaluation and Examination Reforms)।

5. शैक्षिक शोध विभाग (Department of Educational Research)।

6. पुस्तकालय प्रकोष्ठ (Library Unit)।

7. प्रकाशन यूनिट (Publication Unit)।

8. प्रशासनिक यूनिट (Administrative Unit)।

Scanned by TapScanner